(122)

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 / भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

न्यायालय माननीय राजस्व मन्डल, मध्य - प्रदेश, ग्वालियर । म० प्र०।

प्रकरण क्रमांक R-3954-I/12

श्री एस.जी. धाकड़ द्वारा आज दि. 20/11/12 को प्रस्तुत
रीडर बोर्ड 20/11/12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण

गीतादेवी कोटवार वेवा स्व० रामप्रताप बंगार :हरिजन: निवासी ग्राम रामगढ तहसील भान्डेर जिला दतिया म० प्र० - - - - - आवेदिका

बनाम

:1: रामेश्वरदयाल अहिरवार तनय अमान नि० ग्राम रामगढ तहसील भान्डेर जिला दतिया

:2: म० प्र० शासन द्वारा मानसिंह प्रजापति तत्कालीन पटवारी, ग्राम रामगढ तहसील भान्डेर जिला दतिया म.प्र.-अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश दि० 15-7-12 : जो श्री संतोष तिवारी तहसीलदार भान्डेर, द्वारा प्रकरण क्र० 3/अ-56/11,12 में पारित किया गया: निरस्त करने हेतु, तहत धारा 50 भू०रा०सं० 1959

श्री मान महोदय,

सविनय निवेदन है कि श्री संतोष तिवारी, तहसीलदार भान्डेर जिला दतिया । म० प्र०। द्वारा अनावेदक क्र० 1 के आवेदन के आधार पर ग्राम रामगढ तहसील भान्डेर में " कोटवार" का पद रिक्त न होते हुये भी, "कोटवार नियुक्त करने हेतु" उपरोक्तांकित प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। तथा तत्कालीन पटवारी श्री मानसिंह प्रजापति की रिपोर्ट के आधार पर आवेदिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका समुचित उत्तर आवेदिका द्वारा श्री संतोषतिवारी, तहसीलदार तहसील भान्डेर जिला दतिया म० प्र० के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में आवेदिका को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। तथा दिनांक 15-7-12 रविवार के दिन में कथित आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध आवेदिका ने निगरानी प्रस्तुत की जो दि० 19-11-12 को श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कलेक्टर जिला दतिया द्वारा वापिस दी गई। जो पृथक से इसके साथ संलग्न है।

अतः मान्यवर न्यायालय के समक्ष विधिवत सुनवाई हेतु आवेदन निगरानी सादर, विधिवत रूप से पुनः प्रस्तुत है। इति दि० 19-11-12

प्रार्थिया :- [signature]
गीतादेवी कोटवार - - आवेदिका

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3954–एक / 2012 जिला–दतिया

गीतादेवी विरूद्ध रामेश्वर दयाल व म.प्र. शासन द्वारा मानसिंह प्रजापति तत्कालीन पटवारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
31–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार भाण्डेर, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 03 / अ–56 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15–07–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला–दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22–07--2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 31/5/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	